



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-17102024-257987
CG-CG-E-17102024-257987

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4168]

नई दिल्ली मंगलवार, अक्टूबर 15, 2024/ आश्विन 23, 1946

No. 4168]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2024/ ASHVINA 23, 1946

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

शुद्धि पत्र

बिलासपुर, 10 अक्टूबर 2024

का.आ. 4532(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड (37ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित निम्नालिखित परियोजनाओं को अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी	
क्रम सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	धरमजयगढ़—कोरबा (62 कि.मी.)

[फा.सं.सीएओ/सी/बीएसपी/पूर्व रेल कॉरिडोर/1]
आलोक तिवारी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
(SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY)
NOTIFICATION

CORRIGENDUM

Bilaspur, the 10th October 2024

S.O.4532 (E).—In exercise of the powers conferred by **clause (37A)** of Section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as mentioned in column (2) of the Table below as Special Railway Project in the State of Chhattisgarh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

TABLE

Serial Number	Name of the Project
(1)	(2)
1.	Dharamjaigarh-Korba (62 Km)

[F. No CAO/C/BSP/East Rail Corridor/1]

ALOK TIWARI, Chief Administrative Officer, Con.